छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षोडश सत्र अंक-04

रायपुर, शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023

(फाल्गुन 13, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय मोहन मरकाम जी, का भाषण चल रहा था, निरन्तरता में थे । उन्हें क्षेत्र में आवश्यक काम से छुट्टी लेकर जाना पड़ा । अत: मैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, को चर्चा हेतु बुलाना चाहूंगा । अगर बृजमोहन जी, नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अजय चन्द्राकर जी, बोल सकते हैं ।

1. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, शिवरतन शर्मा, प्रकाश शक्राजीत नायक,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

(श्री शैलेष पांडे, सदस्य ने कथन किया कि- बड़ी खुशी की बात है कि कल इस पवित्र सदन में एक बड़ी घोषणा हुई । बिलासपुर एम्स खोले जाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा की उसके परिप्रेक्ष्य में आज केन्द्र सरकार की

स्वीकृति आ गयी है। बिलासपुर में एम्स की स्थापना को लेकर दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दे दी है । सदन के सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई।)

श्री धरमलाल कौशिक, श्रीमती संगीता सिन्हा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल,

(व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 3.08 बजे स्थगित होकर 3.28 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, (जारी)

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, भुनेश्वर शोभाराम बघेल, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री गुलाब कमरो,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, किस्मत लाल नंद, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री रामकुमार यादव, राजमन बेंजाम, श्रीमती इंदू बंजारे, नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय राज्यपाल महोदय के अधिकारों के ऊपर में इस सदन में बहस नहीं हो सकती, क्योंकि वह संवैधानिक

प्रमुख हैं, उन्होने क्या कहा, क्या नहीं कहा, माननीय राज्यपाल को इस सदन में चर्चा का विषय न बनांए । हम माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, उनके अधिकारों पर चर्चा नहीं कर सकते ।

इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल एवं सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने भी विचार व्यक्त किये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यही बात कहेंगे तो हम सदन से बहिर्गमन कर देंगे, क्योंकि यह संविधान के विरूद्ध बात हो रही है।

2. बहिर्गमन

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के भाषण में माननीय राज्यपाल के अधिकारों के विषय में उल्लेख का विरोध करते हुए कि संविधान के विरूद्ध बात हो रही है, नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4. सदन को सूचना

होली मिलन समारोह

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2023 को अपराह्न 3.00 बजे से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के समक्ष लॉन में विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से " **होली मिलन समारोह**" आयोजित

है, जिसमें माननीय सदस्यों के साथ श्री डेविड निराला एवं साथियों द्वारा 'फाग गीत' तथा श्री हेमलाल पटेल व साथियों द्वारा 'हास्य व्यंग्य' का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा।

आप सभी माननीय सदस्य, पत्रकारगण एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी उक्त **"होली मिलन समारोह"** में सादर आमंत्रित हैं।

रात्रि 8.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2023 (फाल्गुन 15, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा